भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
7वां तल, मयूर भवन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001

परिपत्र

सं. आई.बी.बी.आई./एल.आई.क्यू./82/2025 **11 फरवरी, 2025**

सेवा में,
समस्त रजिस्ट्रीकृत दिवाला व्यावसायिक
समस्त मान्यताप्राप्त दिवाला व्यावसायिक संस्थाएं
समस्त रजिस्ट्रीकृत दिवाला व्यावसायिक एजेंसी
(रजिस्ट्रीकृत ईमेल पतों पर मेल द्वारा और आई.बी.बी.आई. की वैबसाइट पर)

महोदय/महोदया
विषयः संहिता के अधीन विभिन्न प्रक्रियाओं के अधीन दिवाला व्यावसायिक की नियुक्ति पर बोर्ड को सूचना

दिवाला व्यावसायिक(आई.पी.) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016("संहिता") के अधीन विभिन्न हैसियत में कार्य करता है । दिवाला व्यावसायिकों को संहिता के अधीन विभिन्न प्रक्रियाओं के अंतर्गत अपनी नियुक्ति के बारे में भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आई.बी.बी.आई.) को सूचित करने के लिए आदिष्ट किया गया है ।

2. वर्तमान में, दिवाला व्यावसायिक, कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया(सी.आई.आर.पी.) के अधीन अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक के रूप में तथा समापन और स्वैच्छिक समान प्रक्रियाओं में परिसमापकों के रूप में भी नियुक्ति के बारे में आई.बी.बी.आई. के पोर्टल पर अपनी असाइनमेंट जोडते हैं। असाइनमेंट के अनुमोदन पर, पश्चात्वर्ती रिपोर्टिंग अपेक्षाएं, जैसे लोक उद्घोषणाएं, रूचि की अभिव्यक्तियां, नीलामी नोटिस और विभिन्न प्ररूप, बोर्ड को प्रस्तुत करने के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं । इसके अतिरिक्त, इस समय व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं के दिवाला समाधान के अधीन समाधान व्यावसायिकों, व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं की शोधन अक्षमता प्रक्रिया के अधीन शोधन अक्षमता न्यासी और वित्तीय सेवा प्रदाताओं की दिवाला और समापन कार्यवाहियों के अधीन प्रशासक से संबंधित असाइनमेंट को जोड़ने के लिए कोई अपेक्षा नहीं है ।

3 बोर्ड ने, इस प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और आरंभ से संपूर्ण अभिलेखन सुनिश्चित करने के लिए, असाइनमेंट माड्यूल को परिष्कृत किया है । जबकि अधिकांश दिवाला व्यावसायिकों ने नियुक्ति होने पर अपने-अपने असाइनमेंट को पहले ही अद्यतन कर दिया है तथापि यह निदेश, अनुपालन भार को कम करने और विलंब को कम से कम करने की पद्धति को औपचारिक बनाता है ।

4. दिवाला व्यावसायिकों को अब से यह आदिष्ट किया जाता है कि वे निम्नलिखित प्रक्रियाओं और हैसियत में अपनी-अपनी नियुक्ति पर अपनी असाइनमेंट को आई.बी.बी.आई. के इलैक्ट्रानिक पोर्टल पर जोड़ेः

क. कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया(सी.आई.आर.पी.) के अधीन अंतरिम समाधान व्यावसायिक(आई.आर.पी.) ।
ख. सी.आई.आर.पी. के अधीन समाधान व्यावसायिक(आर.पी.) ।
ग. समापन प्रक्रिया के अधीन परिसमापक ।
घ. स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया के अधीन परिसमापक ।

ङ. व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं के लिए दिवाला समाधान के अधीन समाधान व्यावसायिक ।

च. व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं के लिए शोधन अक्षमता प्रक्रिया के अधीन शोधन अक्षमता न्यासी ।

छ. वित्तीय सेवा प्रदाताओं की दिवाला और समापन कार्यवाहियों के अधीन प्रशासक ।

5. कोई दिवाला व्यावसायिक, आई.बी.बी.आई. द्वारा उसे प्रदान किए गए सुभिन्न यूज़रनेम और पासवर्ड की सहायता से पोर्टल पर जा सकेगा । जब एक बार असाइनमेंट जोड़ दिया जाता है और उसे आई.बी.बी.आई. द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है तब आई.पी., संहिता में दी गई भिन्न-भिन्न प्रक्रियाओं के अधीन यथा-लागू पश्चात्वर्ती अनुपालनों पर कार्यवाही करेगा, जिसके अंतर्गत रिपोर्टिंग अपेक्षाएं भी हैं, जैसे लोक उद्घोषणाएं, रूचि की अभिव्यक्तियां और नीलामी नोटिस ।

6. असाइनमेंट फाइल करने के लिए समय-सीमा निम्नलिखित रूप में होगीः-

क. नई असाइनमेंटः इस परिपत्र के जारी किए जाने की तारीख से प्रारंभ होने वाले समस्त मामलों के लिए, आई.पी. अपनी नियुक्ति के तीन(3) दिन के भीतर अभिहित प्रणाली में अपना असाइनमेंट जोड़ेगा ।

ख. चालू मामलेः समस्त चालू मामलों के लिए (अर्थात्, इस परिपत्र के जारी किए जाने से पूर्व आरंभ किए गए मामले), **जहां असाइनमेंट को पहले से जोड़ा नहीं गया है**, आई.पी. असाइनमेंट को 28 फरवरी, 2025 तक जोडेगा ।

ग. बन्द मामलेः ऐसे सभी बन्द मामलों के लिए, जहां असाइनमेंट को पहले से जोड़ा नहीं गया है, आई.पी. असाइनमेंट को 31 मार्च. 2025 तक जोड़ेंगा । तथापि, व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं से संबंधित बन्द मामलों के लिए असाइनमेंट 30 अप्रैल, 2025 तक जोड़ दिए जाएंगे ।

7. यह दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 196 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया जाता है ।

भवदीय

हस्ता.

(राजेश तिवारी)

महाप्रबंधक